तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 4111 / 2005 / जालौर** **भंवसिंह बनाम जुहारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री ओंकारलाल दवे अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांकः 8.11.2019**

हस्तगत् निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, जालोर की अपील संख्या 27/2005 बउनवानी भंवसिंह बनाम जुहारसिंह में पारित निर्णय दिनांक 10–08–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जुहारसिंह ने तहसीलदार सायला के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पुत्र की खातेदारी की भूमि मे आने जाने के लिए पड़ोसी खसरा नं0 795 की उत्तरी माह के समानान्तरण कदीमी रास्ता मानसिंह वगैरह ने बन्द कर दिया है। इसलिए उक्त रास्ते को खुलवाया जावें। प्रकरण दर्ज कर प्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया और राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 20–6–2005 को प्रार्थीगण की आराजी में से होकर रास्ता दिये जाने के आदेश पारित कर दिये जिसकी अपील अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर जालौर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10–8–2005 से अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दिनांक 10–8–2005 से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि धारा 251आर0टी0एक्ट के तहत नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता अपितु यदि कोई राजस्व अभिलेख में दर्ज रास्ते को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 4111 / 2005 / जालौर** **भंवसिंह बनाम जुहारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बन्द कर दिया गया हो तो उसे खुलवाया जा सकता है। विपक्षी ने प्रार्थना पत्र में कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि विवादित रास्ता कब बन्द कर दिया जिससे वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता है। ग्राम सुराणा के प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नं0 795 व 796 आयी हुई है तथा खसरा नं0 792, 793, 794 प्रार्थीगण की जरिये रजिस्ट्री खरीदशुदा आराजी है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त है जो भू-अभिलेख निरीक्षक सुराणा की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19-5-2005 से साबित है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि खसरा नं0 795 व 796 के बीच में होकर रास्ता अप्रार्थी के खेत में कभी नहीं गया एवं न ही चलता था न रास्ता बन्द किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम बार अप्रार्थी सं0 2 के यहां दर्ज हुआ है तथा रास्ता खोलने के लिए जो आदेश दिनांक 20-6-2005 को दिये गये हैं वे क्षेत्राधिकार के बाहर होने से काबिल निरस्तनीय थे जिन्हें अपीलीय न्यायालय ने सही मानने में भारी भूल की है। खसरा नं0 795 व 796 के बीच से कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं0 2 के आदेशानुसार हल्का सुराणा ने मौका जांच कर मौका दिनांक दिनांक 19-5-2005 को दोनों पक्षों के रूबरू बनायी, दोनों के हस्ताक्षर है। मौके पर माठ पर रास्ता नहीं है व न रास्ता के निशानात मौजूद है जिस जगह रास्ता चाहा गया है वहां नक्शें में रास्ता भी नहीं है। दिनांक 16-6-2005 को अप्रार्थी सं0 2 ने पुनः मौका देखा तथा मौका देखने से पूर्व दिनांक 8-6-2005 को अप्रार्थी सं0 1 ने रिपोर्ट लेना बताया कि दिनांक 8-6-2005 को पेशी नहीं थी न ही इसके बाद वाली पेशी दिनांक 9-6-2005 पर भी दिनांक 8-6-2005 को रिपोर्ट पेश की जिसका आर्डरशीट में उल्लेख है। इस प्रकार प्रार्थीगण की जानकारी के बिना इकतरफा कार्यवाही करके दुबारा मौका देखा गया। उस समय प्रार्थी भवसिंह स्वयं खेत में ही अरण्डी की देखभाल करके आया था तो उसका भी अंगूठा मौका रिपोर्ट पर करवा दिया गया जिसमें ए. से बी. रास्ता रोकना बताया गया है। ए. स्थान की ओर अरण्डी की फसल खड़ी है फिर भी इस जगह रास्ता होना मानकर खोलने के आदेश दिये गये हैं जिसे अपीलीय न्यायालय ने बहाल रखते हुए अवैद्यानिक निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार सायला के आदेश दिनांक 2-6-2005 एवं जिला कलक्टर जालोर के निर्णय दिनांक 10-8-2005	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 4111 / 2005 / जालौर</u>** **भंवसिंह बनाम जुहारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निरस्त किये जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/गैर निगराकार ने अभिभाषक निगराकार के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि तहसीलदार सायला ने दोनों पक्षों को सुनकर व मौका निरीक्षण करने के बाद रास्ता खोलने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद जांच के रास्ता खोलने का अधिकार तहसीलदार को है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किये गये हैं। इसलिए निगरानी खारिज की जावें। उन्होंने अपने समर्थन में 1996 आर0आर0डी0 पेज 343 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6– उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20–6–2005 में माना कि मौका फर्द में स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत नं0 800, 801 एवं 802 में आने जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खेत ख0 नं0 795 के अन्दर उत्तरी माठ के पास था जो करीब वर्ष भर पहले बन्द किया गया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में एवं ख0 नं0 808, 809 व 810 बताया जो प्रार्थी ने अपनढ़ होने के कारण की गई त्रुटि प्रतीत होती है। इसके अलावा प्रार्थी के बयानों में भी ख0 नं0 808, 809 व 810 लिखे गये जो मात्र लिपीकीय त्रुटि मानी है। वास्तव में प्रार्थी के खेत के ख0 नं0 800, 801 व 802 हैं जो रिकोर्ड एवं मौके से स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। विद्वान अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 10–8–2005 में अंकित किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार स्वयं ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा मौके पर जाकर मौके की जांच करने बाद फर्द मौका दोनों पक्षों के समक्ष तैयार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिवत् होने से अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण में तहसीलदार जालोर ने दिनांक 16–6–2005 को स्वयं मौका देखकर रिपोर्ट बनायी। मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं0 801, 800 व 802 प्रार्थी श्री जुहारसिंह का कुआ, रूड़ा एवं खेत है। खसरा नं0 795 श्री भवसिंह (प्रार्थी) की खातेदारी की भूमि है। खसरा नं0 794 खेत है जो भवसिंह (प्रार्थी) ने क्रय किया है एवं कब्जा भी उसी का है। मौके पर ए. स्थान पर अरण्डी की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 4111 / 2005 / जालौर** **भंवसिंह बनाम जुहारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सूखी डालियां डालकर माठ बनाई गई है। ए. स्थान पर उपरोक्त हरी स्याही से डोटेड से बताये अनुसार खेत के अन्दर घुसकर रास्तानुमा पुराने अलामात है। ए. से बी. तक तवी चलाकर खेत को जोत दिया गया है। इस धारण रास्ता होने के निशान नहीं है। बी. स्थान पर भी अरण्डी की सूखी डालिया डालकर माठ बनाई है जो आमपार की माठ से भिन्न है। माठ के पास ही खसरा नं0 800 प्रार्थी का बेरा है जो पड़त पड़ा हुआ हैं प्रार्थी का खेत खसरा नं0 802 गत फसल में काश्त नहीं किया गया है, पड़त पड़ा है। उससे पहले काश्त किया गया, ऐसा हल की पुरानी लाखो से प्रतीत होता है। खसरा नं0 802 के चारों ओर जूम कर देखा कहीं पर भी आने जाने के लिए रास्ता नहीं पाया गया। मौका फर्द से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खसरा नं0 800, 801 व 802 में आने-जाने के लिए रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं0 795 के अन्दर उत्तरी माठ के पास चलता था जो करीब 1 वर्ष पहले बन्द किया गया। उस रास्ते को खुलवाने का तहसीलदार ने आदेश दिया।

9- अतः निगराकार का यह कथन उचित नहीं है कि तहसीलदार ने तथा रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया। निगराकार का यह भी कथन है कि तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर रास्ता खोलने का आदेश दिया है। इस बिन्दु पर विद्वान जिला कलक्टर ने विस्तृत विधिसम्मत विवेचन किया है। यह विधिसम्मत है कि केवल परिपत्र जारी करने से मूल एक्ट के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किये जा सकते हैं और किसी भी नोटिफिकेशन के द्वारा तहसीलदार के उन अधिकारों को वापस नहीं किया जा सकता जो कि एक्ट में दिये गये हैं।

10- प्रकरण में तहसीलदार ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा मौके पर जाकर फर्द मौका तैयार कर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत है, जिसे विद्वान जिला कलक्टर द्वारा सही रूप से बहाल रखा है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 1996 आर0आर0डी0 पेज 343 प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णरूपेण चस्पा होती हैं। इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार निगराकार की निगरानी काबिल खारिज योग्य है।

11- फलस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है। विद्वान अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-8-2005 एवं विद्वान तहसीलदार सायला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-6-2005

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 4111 / 2005 / जालौर</u>** **भंवसिंह बनाम जुहारसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुरेन्द्र माहेश्वरी)** **सदस्य**	